| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | बिरमाराम शर्मा बनाम लो.सू.अधिकारी ( अपर जिला कलक्टर जोधपुर, ग्रामीण )<br><br>सू.अ.अ.अपील सं0 04/2024 ( ) | |
| 27.02.24 | अपीलार्थी बिरमाराम शर्मा पुत्र हरनारायण शर्मा, निवासी प्रधान रोड़ चौराहा, विश्वकर्मा नगर लोहावट जिला फलोदी ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.11.23 में उसके द्वारा (1) मोजा लोहावट जाटावास परगना फलोदी महकमा सदर हवाला राज मारवाड़ जोधपुर गोरमेंट हवलदारों के लिये आदेश बुक आदेश सं0 1 से सम्पूर्ण आदेशों सहित आदेश बुक में इन्द्राज समस्त रिकॉर्ड व अन्य विन्दुओं , से संवंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( अपर जिला कलक्टर जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( अपर जिला कलक्टर जोधपुर, ग्रामीण ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष ( अपर जिला कलक्टर जोधपुर, ग्ग्रमीण ) से जरिये पत्रांक 146 दिनांक 27.02..2024 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख अनुभाग कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी बीरमाराम शर्मा को इस कार्यालय के पत्र संख्या 145 दिनांक 20.02.2024 द्वारा कुल 267 पृष्ठों की सूचना निःशुल्क प्रेषित की जा चुकी है।<br>चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को निःशुल्क सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संवंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:18:19 IST
Reason: SelfAttested